

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौची(धनबाद)

अभिलेख सं० २९ (X) / 2016-17

वाद का प्रकार - बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कारबाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के झापाक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपाठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पाठित राजस्व विभागाधीन परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

मौजा आसना साँचा थाना न० 159 खाता न० 101
 प्लॉट न० 288 रकबा 05 एकड़ की
 भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० 1 के पृष्ठ संख्या 288 पर जमाबंदी रैयत काररने 5 सरकार के नाम से कायम है।


हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरतावेजों/निर्गत लगान रसीद की माग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक २६.९.२०१६ को उपस्थापित करे।


 अंचल अधिकारी,
 तोपचौची
१९.९.१६

अभिलेख उपस्थापित । तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया जाता है । इस संबंध में सपरी देव द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थित जो अभिलेख में संलग्न है । लगान वर्ष 2014-15 तक भुगतान किया गया है ।

मौजा आसगाती थाना नं० 159 खाता संख्या 101

प्लॉट संख्या 388 रकबा 0.580 धूर कुल 0.580

धूर भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । पंजी-11 में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

1. जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया ।
2. लगान निर्धारण / जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा / सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया ।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है ।

अतः मौजा आसगाती थाना नं० 159

खाता संख्या 101 प्लॉट संख्या 388 रकबा 0.580 धूर, कुल

धूर भूमि जो प्रतिवादी सुरदेव पास के नाम पर पंजी-11 में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंखा की जाती है ।

तदनुसार अभिलेख अर्द्धर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित

27/11/20
अंचल अधिकारी

27/11/20
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

तोपचाँची ।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रियत का नाम - सुखदेव डास पिता
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-
 गीजा थाना सं० खाता सं० प्लॉट सं० रकबा
आरंभ सं० - 159 - 101 - 388 - 0556
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं० 288 पर कागज है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 95-96
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातोदार का नाम - माता सुखदेव देवी
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - कानून 42(X) 95-96
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रियत का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - सुखदेव देवी)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) - पंजी-घ

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	563663	7.1.96	95-96
2	402542	21/8/09	09-2010
3	2848 037727	26.8.14	2014-15

(Handwritten signatures and marks)